

भारतीय मानक ब्यूरो

(प्रशासन विभाग)

परिपत्र

विषय : दिनांक 15 सितंबर 2018 से 2 अक्टूबर 2018 तक "स्वच्छता ही सेवा 2018 (एसएचएस)" अभियान का पालन करना।


उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने अपने पत्र सं. डी-31016/5/2016-सामान्य अनुभाग दिनांक 10 सितंबर 2018 द्वारा उपर्युक्त विषय के संबंध में, महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता ही सेवा 2018 अभियान की अवधि के दौरान की जा सकने वाली गतिविधियों की सूची अग्रेषित की है। इस संबंध में, ब्यूरो की महानिदेशक द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2018 अभियान के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्य योजना अनुमोदित की गई है :

- (i) ब्यूरो के सभी कार्यालयों में दिनांक 15 सितंबर 2018 से 2 अक्टूबर 2018 तक एक "विशेष स्वच्छता अभियान" चलाया जाएगा। सभी कर्मचारी स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे और इस दौरान अपनी मेज, रैक, कंप्यूटर की सफाई करेंगे तथा अपने आस-पास के स्थान को धूल-रहित होना सुनिश्चित करेंगे। फाइलों और अभिलेखों की उनकी प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार छंटाई की जानी है।
- (ii) दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से पहले अनुपयोगी घोषित करने/निपटान करने हेतु अनुपयोगी फर्नीचर एवं उपस्कर वस्तुओं की पहचान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और दिनांक 03 अक्टूबर 2018 तक मुख्यालय में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- (iii) स्वच्छता से संबंधित नुक्कड़ नाटक, लोकगीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- (iv) स्वच्छता ही सेवा 2018 अभियान के अनुपालन के दौरान ब्यूरो के वेबसाइट पर "स्वच्छता ही सेवा 2018 (एसएचएस)" टैग लाइन प्रदर्शित की जाएगी।
- (v) ब्यूरो द्वारा दिनांक 15 सितंबर 2018 से 2 अक्टूबर 2018 तक की अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली बैठकों/सम्मेलनों/कार्यक्रमों के बैनर/हॉर्डिंग्स/बैकड्राप के माध्यम से "स्वच्छता ही सेवा 2018 (एसएचएस)" का प्रचार किया जाए।
- (vi) औद्योगिक संपदा परिसरों पर स्वच्छता शीर्षक पर दीवार पेंटिंग बनाएं।

जारी ...

बीआईएस मुख्यालय / प्रशासन/परिपत्र (13)/2018

- (vii) स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 के दौरान कम्पोस्ट पिट्स का निर्माण करना।
- (viii) ब्यूरो के मुख्यालय में उपमहानिदेशकों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभागों में स्वच्छता गतिविधियों की औचक जाँच की जाएगी। क्षेत्रीय उपमहानिदेशक, शाखा प्रमुख, प्रयोगशाला/एनआईटीएस प्रमुख अपने संबंधित कार्यालयों की स्वच्छता गतिविधियों की औचक जाँच करेंगे।
- (ix) बीआईएस-एनआईटीएस, नोएडा द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 के दौरान नोएडा आवसीय संघों के साथ “घरेलू ठोस कचरा प्रबंधन” पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- (x) मुख्यालय के सभी विभाग / सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों / प्रयोगशालाओं / एनआईटीएस द्वारा उपर्युक्त पर की गई कार्रवाई के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट मुख्यालय के प्रशासन विभाग को 03 अक्टूबर 2018 तक भेजी जाएगी ताकि उपभोक्ता मामले विभाग को समेकित रिपोर्ट भेजी जा सके।


(एन. विट्टोबा)
निदेशक (प्रशासन)

संदर्भ : प्रशा/01/29/2014(Vol-V)

परिचालित: बीआईएस इंटरनेट द्वारा बीआईएस मुख्यालय के सभी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/एनआईटीएस एवं प्रयोगशालाएँ